

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2009/पौष 11, 1930

No. 2]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2009/POUSA 11, 1930

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2009

विषय :—थैलिक एनहाईडाइड (पैन) के आयात से सम्बन्धित रक्षोपाय जाँच का प्रारम्भिक निष्कर्ष ।

सा.का.नि. 3(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए ।

1. प्रक्रिया—थैलिक एनहाईडाइड (पैन) के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच शुरू करने के लिये दिनांक 28 नवम्बर, 2008 को नोटिस जारी किया गया था और उसी दिन इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नोटिस की एक प्रति निम्नलिखित सभी ज्ञात-इष्टुक पक्षों को भेजी गई थी :—

घरेलू उत्पादक

(क) मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु ।

(ख) मैसर्स एस.आई. ग्रुप इण्डिया लिमिटेड, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र ।

(ग) मैसर्स आई.जी. पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र ।

(घ) मैसर्स मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रायचूर, कर्नाटक ।

आयातकर्ता

(क) मैसर्स क्रो वैली रेजिस इण्डिया लिमिटेड, प्लॉट नं. डी-43, ट्रांस थाने क्रीक, एम.आई.डी.सी. इन्डस्ट्रियल एरिया, शिरवाने, नवी मुम्बई ।

(ख) मैसर्स गुडलास नैरोलक पेन्ट्स लिमिटेड, तिरुपूरु रोड पेरिंगुडी, चेन्नई 600 096 तमिलनाडु ।

- (ग) मैसर्स गार्गी इन्डस्ट्रीज (स्वामी : गार्गी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड) यूनिट नं.11, डी-161, टी.टी.सी. इन्डस्ट्रियल एरिया (एम.आई.डी.सी.) कार्या.— थाने बेलापुर रोड, जिला—थाने नवी मुम्बई।
- (घ) मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेकिटसाइड लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) डाकखाना—रसायनी, जिला—रायगढ़, रसायनी—महाराष्ट्र।
- (ङ.) मैसर्स केमरोक इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (100% ई.ओ.यू.), सर्वे नं.120/2, बड़ोदरा—हलोल एक्सप्रेस वे, गाँव—आसोज, बड़ोदरा, गुजरात।
- (च) मैसर्स शालीमार पेन्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सूरजपुर—दादरी रोड, गाँव—देवला, जिला—गोतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

निर्यातक

- (क) मैसर्स आयेकुंग पेट्रोकेमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, उल्सास, 106-3, कूरो डोंग, कूरो—गु— सिओल 152-050 साउथ कोरिया—दूरभाष — 82/2/851-6100
- (ख) मैसर्स एल.जी. पेट्रोकेमिकल्स, येओचोन, एल.जी. दिवन टावर्स, 20, येओइदो—डोंग, योंगदेअंगयो—गु, सिओल, 150-721, कोरिया(गणतंत्र), दूरभाष : 82-2-3777-1114.
- (ग) मैसर्स पेटोविदादा, पूर्वीजावा, मेरारा बी.टी.एन., पन्द्रहवां तल, जे. एल. गात्रा मादा नं.1, जकार्ता 10130, इन्डोनेशिया।
- (घ) मैसर्स नान या प्लास्टिक कारपोरेशन, मैलियाओ, नं.201, तुग हवा नार्थ रोड, ताइपेई, ताइवान, दूरभाष : 886-2-2901-9141, फ़ैक्स — 886-2-2902-1243.
- (ङ.) मैसर्स यू.पी.सी. टेक्नॉलाजी कारपोरेशन, लिनयुआन एवं ताईपेई, 5 एफ, 20, लेन 478, रूईगुआंग रोड, नेहू, ताइपेई, ताइवान। दूरभाष : 886-2-26575555, फ़ैक्स — 886-2-26270707

2. निर्यातक देशों की सरकारों को भी दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से नोटिस की एक प्रति भेजी गई थी।

सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों और आयातकों को उसी दिन प्रश्नावली भी भेजी गई थी और उनसे 30 दिन के अन्दर अपना जवाब भेजने के लिए कहा गया था। अपने जवाब को भरकर भेजने की समय अवधि को बढ़ाए जाने हेतु निम्नलिखित पक्षों द्वारा अनुरोध किया गया है।

मैसर्स निमिर कैमिकल्स, 51-एन, इन्डस्ट्रियल एरिया-11, लाहौर, पाकिस्तान तथा इण्डियन प्लास्टिसाइजरस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली तथा कोरिया गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्रालय ने उन्हें इच्छुक पक्ष बनाये जाने का अनुरोध किया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त मैसर्स आए क्यून्ग पेद्रोकैमिकल्स, दक्षिण कोरिया द्वारा समय सीमा को 28.01.2009 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया है, मैसर्स पी.टी. पेटोविदादा, पूर्वी जावा, इन्डोनेशिया ने जवाब प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाने की प्रार्थना की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली का जवाब भेज दिया गया है।

घरेलू उद्योगों का दृष्टिकोण

घरेलू उत्पादक जैसे थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, आई.जी. पेद्रोकैमिकल्स लिमिटेड, मैसूर पेद्रोकैमिकल्स लिमिटेड तथा एस.आई. ग्रुप इण्डिया लिमिटेड जिनकी पैन के घरेलू उत्पादन में 85% भागीदारी है उन्होंने निम्नलिखित मुद्दे उठाये हैं।

1. थैलिक एनहाईडाइड जो कि आठ अंक के हारमोनाइज्ड सिस्टम के नामकरण के अनुसार 29173500 के अन्तर्गत आता है साथ ही यह कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 के प्रथम अनुसूची के अनुसार 29173500 में आता है
2. सन् 2004-05 की अपेक्षा सन् 2007-08 में भारत में किये जाने वाले आयात में 60% की वृद्धि हुई है। सन् 2006-07 के बाद आयात में निरन्तर वृद्धि हुई है।

3. पैन के भारत में आयात पर सीमा शुल्क की दर जो कि 2002-03 में 30% थी वह 2008-09 में घट कर 7.5% हो गई है जिसके कारण घरेलू उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
4. आयात की कीमतों में वृद्धि कच्चे माल की कीमत तथ परिवर्तन मूल्य के अनुकूल नहीं थी।
5. आयातित सामान की कीमतें घरेलू उत्पादकों की कीमतों की तुलना में कम थीं। आयातित सामान की कीमतें घरेलू उत्पादकों की कीमतों को सन् 2008-09 तक लगातार 1% से 19% तक कम करती रही।
6. कोरिया की घरेलू मंडी का ढ़ह जाना तथा चीन एवं अमेरिका की परम्परागत निर्यात मंडी का ढ़ह जाना तथा साथ ही दक्षिण कोरिया की बैंकिंग व्यवसाय का संकट तथा कोरियाई वान का अमेरिकी डालर के मुकाबले अवमूल्यन सभी अदृष्ट हालातों के कारण संचित भण्डार को कम करने की आतुरता का कारण बनी।
7. पैन की कीमतों में अमेरिकी डालर 1580 प्रति मैट्रिक टन से 570 प्रति मैट्रिक टन की गिरावट के कारण जुलाई से नवम्बर 2008 भारतीय उद्योग को अलाभकारी बना दिया है, और उसके पास सिवाय अपने कारखानों को बन्द करने का कोई विकल्प नहीं रह गया है।
8. कच्चे माल के आयात के मामले में आयात आपूर्ति श्रृंखला काफी लम्बी है तथा उसके लिए दो महीने के समय की आवश्यकता होती है। स्वदेशी खरीद में भी कम से कम एक महीने के समय की आवश्यकता होती है। कारखानों के बन्द होने के कारण 120 करोड़ से अधिक का कच्चा माल भण्डार में बिना किसी इस्तेमाल के पड़ा है, जिसके स्वतः जीवन्त/पुर्नउत्थान होने का कोई अवसर नहीं है।
9. समस्त 400 करोड़ रुपये के उपर लागत वाले कारखाने एवं मशीनों को अक्रियाशील सम्पत्ति बना दिया है।
10. कारखानों के बन्द होने से बड़ी तादाद में नियोक्ता बेकार हो गये हैं और प्रति माह दो करोड़ से अधिक केवल वेतन की कीमत में वृद्धि हो रही है जिसे की घरेलू उद्योग को कारखानों के बन्द होने के दौरान वहन करना पड़ता है।

11. सितम्बर से नवम्बर 2008 के दौरान क्षमता इस्तेमाल में आकस्मिक गिरावट आई है।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 प्रथम छमाही
स्थापित क्षमता				
थिरुमलाई कैमिकल्स	87000	100000	110000	62500
आई.जी. पैदो	110000	110000	110000	55000
मैसूर पैदो	12000	12000	12000	6000
एस.आई. ग्रुप	11000	11000	11000	5500
आवेदकों का योग	220000	233000	243000	129000
एशियन पेन्ट्स	24000	25200	25200	12600
कुल योग	244000	258200	268200	141600
वास्तविक उत्पादन				
आवेदक	168569	201095	220168	101483
एशियन पेन्ट्स	23041	21864	24261	12131
कुल उत्पादन	191637	222959	244429	113614
क्षमता उपयोगिता				
आवेदक	77%	86%	91%	79%

12. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि अमेरिकी डालर 488 PMT 302 PMT तथा 180 PMT की निश्चित दर से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमानुसार शुल्क लगाया जाये जो कि इस उत्पाद के लिये अधिक अनुकूल है, वह भी सामरिक मन्डी के हालात के अर्न्तगत जब पैन की कीमते बहुत अस्थिर हैं। यथा मूल्य शुल्क दर का प्रयोजन होगा अधिक कीमतों पर अधिक शुल्क तथा कम कीमतों पर कम शुल्क, यह घरेलू उत्पादकों की सहायता नहीं करेगा यह घरेलू उत्पादकों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि जैसे ही आयात मूल्य नीचे गिरेंगे संरक्षण भी नीचे गिरेगा।

3. महानिदेशक का निष्कर्ष

(क) रक्षोपाय उपायों को तत्काल लागू करने संबन्धित विषय का निरीक्षण किया और यह पाया गया कि 29.03.1995 से 12.11.2008 तक कुल 168 रक्षोपाय अन्वेषणों के प्रारम्भ को WTO को सूचित किया गया। यह देखा गया कि इनमें से 15 मामलों में—उदाहरणार्थ यूरोपियन यूनियन, का WTO दस्तावेज संख्या G/SG/N/6/EEC/1, G/SG/N/7/EEC/1, द्वारा स्टील पर अस्थाई रक्षोपाय मामला। साउथ अफ्रीका के लाइसिन पाउडर केस के WTO कागजात नं. G/SG/N/6/ZAF/1, G/SG/N/7/ZAF/1, G/SG/N/8/ZAF/1, G/SG/N/11/ZAF/1 इत्यादि पर अस्थाई रक्षोपाय उपाय रक्षोपाय अन्वेषण के प्रारम्भ होने के 30 दिनों के भीतर लागू किये। सीमा शुल्क टैरिफ नियम 9 रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण नियम जो कि दिनांक 29.07.1997 के सम्वाद संख्या 35/97-एन.टी. कस्टम द्वारा अधिसूचित है, यह निर्धारित करता है कि महानिदेशक अन्वेषण के काम को तेजी से आरम्भ करेंगे और नाजुक हालातों में वह गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे की अवस्था में एक प्राथमिक खोज दर्ज करेंगे। अन्वेषण संबन्धी सिद्धान्त नियमावली के नियम संख्या 6 में दिये गये हैं जो कि नियम संख्या 9 से स्वतन्त्र है।

- नियमावली के नियम संख्या 15 में प्रावधान है कि अन्वेषण पूर्ण होने पर लागू रक्षोपाय शुल्क यदि पहले से लागू तथा एकत्र किये हुए तत्कालिक शुल्क से कम है तो अंतरीय रक्षोपाय शुल्क को वापस किया जायेगा। तथाकथित नियमावली के नियम 6, 9 और 15 के ध्यान पूर्वक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि यह नियम प्राथमिक खोज के आधार पर तत्कालिक रक्षोपाय शुल्क लागू करने एवं प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, अन्वेषण पूर्ण होने पर अंतरीय शुल्क की वापसी का प्रयोजन रखते हैं यदि पाया गया कि लागू शुल्क तत्कालिक शुल्क से कम है। तथापि नाजुक मामलों में तत्कालिक शुल्क लागू करने में कोई भी देरी ऐसी क्षति कर सकती है जिसे ठीक कर पाना मुश्किल होगा। इसलिये यह उचित समझा गया कि हालातों का विश्लेषण किया जाये और यह जाना जाये कि क्या वह नाजुक हालातों की श्रेणी में आते हैं।

— जॉच के अधीन उत्पाद

जॉच के अधीन उत्पाद थैलिक एनहाईडाइड (पैन) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 सी.टी.ए. की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2917.35.00 के अधीन आता है। थैलिक एनहाईडाइड (पैन) थैलिक एसिड का मुख्य वाणिज्यिक रूप है। यह सफेद ठोस क्रिस्टल के रूप में होता है तथा इसका उपयोग सिन्थेटिक रेजिन के उत्पादन में किया जाता है जो कि पेन्ट्स में बन्धक का काम करता है। पैन का प्राथमिक उपयोग विनायल क्लोराईड से प्लाटिक बनाने के लिए रासायनिक इन्टरमिडिएट के रूप में किया जाता है। थैलेट ईस्टर जो कि प्लास्टिसाइजर की तरह काम करते हैं पैन से निकाले जाते हैं। पैन का दूसरा मुख्य उपयोग पालिएस्टर रेजिन के उत्पादन में होता है तथा इसका अन्य उपयोग ऐलकिड रेजिन के उत्पादन में किया जाता है जो कि पेन्ट्स लेकर्स कुछ डाईयों कीट प्रतिरोधियों पोलिएस्टर पॉलीआयलस् व पोलियूरिथिन में काम आता है। पैन का रासायनिक सूत्र $C_8H_4O_3$ इसे आर्थोजाईलीन का हवा के साथ कैटिलिटक ऑक्सीडेसन करा कर या नैफथलीन का कैटिलिटक ऑक्सीडेसन करा कर उत्पन्न करते हैं। घरेलू उत्पादक OX द्वारा ही इसे उत्पन्न करते हैं। इस विधि में आर्थोजाईलीन OX को एक रिएक्टर से गुजारते हैं जिसमें क्ले या पार्सलीन की नलियों होती हैं जिम पर कैटिलिस्ट लगा रहता है। ऑक्सीडेसन की प्रक्रिया के बाद कुछ अन्य प्रक्रियाएँ जैसे पौलसिंग, फ्लैकिंग इत्यादि की जाती हैं जिसके बाद पैन सफेद या पीले मटमैले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है।

घरेलू उद्योग

भारत में पैन के पाँच घरेलू उत्पादक हैं। यह चार घरेलू उत्पादक निम्नलिखित हैं — 1—थिरुमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडू, 2—आई.जी. पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र, 3—मैसूर पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रायचूर, कर्नाटक, 4—एस.आई.ग्रुप इण्डिया लिमिटेड, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र जिन्होंने मिलकर यह आवेदन किया है। पाँचवां घरेलू उत्पादक ऐशियन पेन्ट्स आवेदक के रूप में सहभागी नहीं है। ऐशियन पेन्ट्स अपने उत्पादन का प्रमुख भाग स्वयं प्रयोग करते हैं तथा घरेलू बाजार में एक हिस्सा ही बेचते हैं। सन्

2005-06 से 2008-09 के बीच में उपरोक्त चार आवेदकों का हिस्सा 85 से 90 प्रतिशत रहा।

वर्धित आयात

सन् 2006-07 को छोड़कर सन् 2004-05 से आयात कुल मिलाकर वृद्धि का संकेत दर्शाता है। यदि 2004-05 को आधार वर्ष माना जाए तो 2005-06 में आयात में 22.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2006-07 में इसमें 27.88 प्रतिशत की कमी आयी। 2007-08 में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 2008-09 वर्ष में (वार्षिक आधार पर) 128 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है। वार्षिक आयात के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

सन्	मात्रा (मि.ट.)	मूल्य (लाख रु०में)	कीमत (प्रति मि.ट.)
2004-05	19599	8105	41357
2005-06	24092	10061	41763
2006-07	14133	7192	50887
2007-08	31441	16417	52218
2008-09 (प्रथम 5 माह)	18665	10366	55539

इसीप्रकार आयात का हिस्सा घरेलू बाजार में जो सन् 2006-07 में 7 प्रतिशत था 2007-08 में बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया तथा 2008-09 के प्रथम छमाही में 13 प्रतिशत दर्ज किया गया।

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 प्रथम छमाही
आयात	1	24,092	14,133	31,441	22,398
घरेलू उत्पादन	2	168,596	201,095	220,168	101,483
कुल उपलब्ध मात्रा	3=1+2	192,688	215,228	251,609	127,262
आयात का हिस्सा	4=1/3	13%	7%	12%	13%
घरेलू उत्पादन का हिस्सा	5=2/3	87%	93%	88%	87%
घरेलू उद्योग द्वारा बिकी	6	118,308	142,471	153,055	77,540
भारत में उपभोग	7=1+6	142,400	156,605	184,496	99,938
बाजार में आयात का हिस्सा	8=1/7	17%	9%	17%	22%
घरेलू उद्योग	9=6/7	83%	91%	83%	78%

इस प्रकार पैन का भारत में आयात कुल मिलाकर संपूर्णरूपेण एवं सापेक्षिक रूप से दोनों ही प्रकार से बढ़ा है।

अप्रत्याशित घटनायें

निदेशालय में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया है कि पैन (अंतिम उत्पाद) एवं आकस (कच्चे माल) के बीच मूल्य का अन्तर यू.एस. डालर 210 प्रति मि.टन से सिमटकर यू.एस.डालर 50 प्रति मि.टन तक आ गया, कुछ प्रकरणों में तो कच्चे माल का मूल्य अंतिम उत्पाद से भी अधिक पाया गया। पैन के मूल्यों में अचानक आई गिरावट के कारणों में से एक कारण है कोरिया, चीन एवं यू.एस.ए. के बाजारों का अचानक ढह जाना जिसके परिणामस्वरूप जमा माल को हताशा में बेचा जाना। कोरिया भारत के लिए पैन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कोरियन मुद्रा वान का लगभग 41 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया है। कोरियन वान जो जनवरी 2008 में 941 कोरियन वान प्रति यू.एस. डालर था अक्टूबर 2008 में 1326 कोरियन वान प्रति यू.एस.डालर हो गया है इसके प्रभाव से कम कीमत पर अधिक मात्रा में आयात शुरू हो गया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि बहुत से देशों में अभूतपूर्व एवं असंगत मंदी के कारण भारत में पैन के आयात में वृद्धि हो गई।

गम्भीर क्षति एवं गम्भीर क्षति की आशंका

निदेशालय में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि अगस्त 2008 में पैन का मूल्य यू.एस.डालर 1330 प्रति मि.टन तक गिरा। पुनः सितम्बर 2008 में यह यू.एस.डालर 1180 प्रति मि.टन तक गिरा। यह गिरावट का कम जारी रहा और अक्टूबर 2008 में यह यू.एस.डालर 650 प्रति मि.टन तक पहुँच गया। पिछले चार महीनों में आयातित पैन की कीमतें यू.एस.डालर 1580 प्रति मि.टन से यू.एस.डालर 570 प्रति मि.टन तक गिर गई। यह गिरावट 64 प्रतिशत तक दर्ज की गई। तीन घरेलू उत्पादकों ने अपने प्लांट बंद कर दिये। भारत की पैन उत्पादन की क्षमता 2.5 लाख मि. टन है जिसमें से 77.5 प्रतिशत उत्पादन क्षमता बन्द हो चुकी है। उत्पादन एवं क्षमता उपयोगिता संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 प्रथम छमाही
स्थापित क्षमता				
थिरुमलाई कैमिकल्स	87000	100000	110000	62500
आई.जी. पैट्रो	110000	110000	110000	55000
मैसूर पैट्रो	12000	12000	12000	6000
एस.आई. ग्रुप	11000	11000	11000	5500
आवेदकों का योग	220000	233000	243000	129000
एशियन पेन्ट्स	24000	25200	25200	12600
कुल योग	244000	258200	268200	141600
वास्तविक उत्पादन				
आवेदक	168569	201095	220168	101483
एशियन पेन्ट्स	23041	21864	24261	12131
कुल उत्पादन	191637	222959	244429	113614
क्षमता उपयोगिता				
आवेदक	77%	86%	91%	79%

घरेलू उत्पादक	प्लांट बन्द होने की तिथि	बन्द से प्रभावित क्षमता
थिरुमलाई कैमिकल्स	8 अक्टूबर, 2008	132,500
एस.आई. ग्रुप	11 अक्टूबर, 2008	11,000
आई.जी. पैट्रो कैमिकल्स	25 अक्टूबर, 2008	50,000 (out of 110,000)
मैसूर पैट्रो कैमिकल्स	1 नवम्बर, 2008	12,000

घरेलू उत्पादकों ने जब अपने प्लांट बन्द किये थे तब उनके पास लगभग 9500 मि.टन का स्टॉक था। वह इसे अपने लागत मूल्य पर बेचने में भी असमर्थ थे तथा इस प्रकार उनका लगभग 61.23 करोड़ रुपया फंस गया था। प्लांट बन्द करने की तारीख को 20,000 मि.टन से ज्यादा आर्थेजाइलीन कच्चा माल, जिसका मूल्य 120 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, स्टॉक में पड़ा था। जब तक उत्पादन शुरू नहीं होता तब तक यह राशि रुकी रहेगी।

चूँकि बहुत से प्लांट बन्द हो गये हैं, अतः कर्मचारी भी बेकार बैठे हैं तथा उन उद्योगों के कर्मचारी भी बेरोजगार हो गये हैं जो कि पैन के उत्पादन से संबद्ध है।

आयात के मूल्य में निरन्तर गिरावट तथा वर्तमान आर्थिक परिदृश्य जिसमें कि अन्य देशों में भी मांग गिरती है घरेलू उत्पादकों में गम्भीर क्षति की आशंका उत्पन्न करता है।

गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति की आशंका एवं वर्धित आयात के बीच कारणात्मक सम्बन्ध

आयात बढ़ रहा है तथा घरेलू बाजार के हिस्से को हड़प रहा है। इसके साथ ही घरेलू उद्योगों ने अपना उत्पादन कम कर दिया है तथा कुछ इकाईयों बन्द हो गई हैं।

समायोजन योजना

घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन की कीमत में कमी किये जाने के प्रस्ताव रखे हैं। कमीशन एवं प्रसासनिक खर्चों में कमी करके बेचने में आने वाले खर्च में भी कमी करना प्रस्तावित है।

घरेलू उत्पादकों की संकटपूर्ण स्थिति

सन् 2007-08 में 91 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता की तुलना में 79 प्रतिशत हो गई है। परवर्ती महीनों में क्षमता उपयोगिता गिरकर 22 प्रतिशत हो गई है। परवर्ती महीनों में क्षमता उपयोगिता मुख्य युनिट के बन्द हो जाने के कारण 22 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा उत्पादन का नमूसान, बिक्री का नुकसान, माल का संग्रहित होना, बेरोजगारी व काम के दिनों का नुकसान सब मिलाकर संकटपूर्ण स्थिति निर्मित करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये संकटपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है तथा घरेलू उत्पादकों को अपूरणीय क्षति से बचाने के लिये तत्काल अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाना औचित्यपूर्ण होगा। यदि रक्षोपाय उपायों को लगाने में देरी हो जाती है तो इससे हुई क्षति की पूर्ति संभव नहीं होगी।

निष्कर्ष और सिफारिश

उपर दिए गए अन्तिम खोजों के आधार पर महानिदेशक का यह दृष्टिकोण है कि पैन के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति या उसकी आशंका का भय है। इस संकटपूर्ण परिस्थिति में अगर रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने में देर अथवा चूक हुई तो उससे गम्भीर क्षति की आशंका हो सकती है जिसकी भरपाई करना कठिन होगा अतः आवश्यकता है कि 200 दिन के लिए अस्थायी रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए जिससे घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति या उसकी आशंका को स्थगित किया जा सके।

पैन के उत्पाद पर घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया औसतन परिव्यय, लगायी हुई पूँजी पर मुनासिब फायदे, वर्तमान में आयात शुल्क के स्तर एवं पैन के औसतन आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए 25 प्रतिशत की दर पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना चाहिए जो कि घरेलू उद्योग के संरक्षण हेतु न्यूनतम संस्तुतित राशि है जो कि फ़ैटैलिक ऐनहाइड्राईड के आयात पर जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के प्रथम अनुसूची के संख्या 29173500 के अंतर्गत आता है।

अन्य अग्रमन

- क. विभिन्न पक्षों द्वारा दी गई सूचनाएं आवश्यकता अनुसार सत्यापन अधीन होंगी, जिसके विषय में उन्हें अलग से सूचित कर दिया जायेगा।
- ख. आनेवाले दिवसों में अंतिम निर्धार्य के पूर्व एक लोक सुनवाई का प्रावधान किया जायेगा जिसकी तिथि अलग से सबको सूचित की जायेगी।
- ग. सम्बद्ध पक्ष इन अन्तिम खोजों पर अपने दृष्टिकोण अधोहस्ताक्षरित को 30 जनवरी, 2009 के पहले अवगत कराएं।

[फा. सं. डी-22011/32/2008]

सर्वजीत सिंह राणा, महानिदेशक

DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2009

Subject :—Safeguard investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (PAN)- Preliminary findings.

G.S.R. 3(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty), Rules, 1997 thereof.

- i) The Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Phthalic Anhydride into India was issued on 28th November 2008 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day. A copy of the Notice was also sent to all known interested parties as under:

Domestic Producers

- a. M/s Thirumalai Chemicals Ltd, Ranipet Tamilnadu
- b. M/s. SI Group India Ltd, Navi Mumbai Maharashtra
- c. M/s. IG Petrochemicals Ltd, Raigad Maharashtra
- d. M/s. Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur Karnataka

Importers

- a. Cray Valley Resins India Ltd. Plot No. D-43 Trans Thane Creek, MIDC Indl. Area, Shirvane Navi Mumbai 410 833, Maharashtra
- b. Goodlass Nerolac Paints Ltd Tiruporur Road Perungudi ,Chennai 600096 Tamilnadu
- c. Gargi Industries (Prop. Gargi Chem. Pvt Ltd) Unit No. 11, D-161 Ttc Indl. Area (Midc) Off. Thane Belapur Road Dist. Thane Navi Mumbai
- d. Hindustan Insecticides Limited (A Government Of India Enterprise) P.O. Rasayani, Dist. Raigad, Rasayani Maharashtra
- e. Kemrock Industries & Exports Ltd, (100% Eou) Survey No. 120/2, Vadodara-Halol, Express Way, Village-Asoj, Vadodara, Gujarat.
- f. Shalimar Paints Limited ,P.O. Danesh Shaikh Lane, Newah-711109

- g. U.K. Paints India Pvt. Ltd, Surajpur-Dadri Road, Village : Devla. District : Goutambudh Nagar Uttar Pradesh

Exporters

- a. Aekyung Petrochemical Co. Ltd, Ulsan, 106-3, Kuro-dong, Kuro-gu Seoul 152-050 South Korea, Tel: 82/2/851-6100
 - b. L.G. Petrochemical, Yeochon, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea (REP), Tel : 82-2-3777-1114
 - c. Petowidada, East Java, Menara BTN 15th Floor, JL. Gajah Mada No 1, Jakarta 10130, Indonesia. Tel: (62-21) 633 2622, Fax: (42-21) 634 2635
 - d. Nan Ya Plastics Corporation, Mailiao, No. 201, Tung Hwa North Rd. Taipei, Taiwan, Tel: 886-2-2901-9141, Fax: 886-2-2902-1243
 - e. UPC Technology Corporation, Linyuan & Taipei, 5f, 20, Lane 478, Rueiguang Rd, Neihu, Taipei, Taiwan, Tel: 886-2-26575555, Fax: 886-2-26270707
- (ii) A Copy of the Notice was also sent to government of exporting countries through their embassies in New Delhi.
- (iii) Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and they were asked to submit their response within 30 days. Request for an extension of time to submit their replies were made by the following parties:

M/s Nimir Chemichals , 51-N Industrial area Gulberg II, Lahore, Pakistan and Indian Plasticizers Manufacturers Association, New Delhi and Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea have requested to make them interested parties, which have been accepted. Further, M/s Aekyung Petrochemical, South Korea have requested for extension of time upto 28.1.2009 which has been accepted. M/s PT Petowidada, East Java, Indonesia, have requested for extension of time for submission of reply, which has been accepted.

The domestic producers have submitted their reply to the questionnaire.

2. View of the Domestic Industry

The domestic producers viz., Thirumalai Chemicals Ltd., IG Petrochemicals Ltd., Mysore Petrochemicals Ltd. & SI Group India Ltd. who constitute 85% of the domestic production of PAN have made following major points:-

- i. The product is Phthalic Anhydride falling under 8 digit code 29173500 of Harmonized System of Nomenclature and 29173500 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (CTA).

- ii. Imports into India have increased by 60% from the year 2004-05 in the year 2007-08. There has been consistent increase in import in absolute terms from 2006-07 onwards.
- iii. Customs duty upon importation of PAN into India has come down from 30% in 2002-03 to 7.5% in 2008-09 exposing domestic industry to international competition.
- iv. The increase in price of import was not commensurate with increase in the cost of raw material & other conversion cost.
- v. Prices of imported goods were lower as compared to the prices of domestic producers. Prices of imported goods consistently undercut the prices of domestic producers by 1% to 19% during 2008-09.
- vi. On account of unforeseen circumstances by way of collapse of domestic market in Korea & collapse of traditional export markets like China & USA coupled with crisis of South Korean Banking industry and devaluation of Korean Wan vis-à-vis US\$ has led to desperation to offload the piled up stocks.
- vii. The fall in PAN prices from US\$ 1580 pmt to US\$ 570pmt during the month of July to November 2008 has made Indian industry unviable and they were left with no options but to shut down their plants.
- viii. In the case of raw materials, supply chain is long & a lead period of 2 months is required. In the case of Indigenous purchases a lead time of minimum 1 month is required. The shutting down of the plants has made raw materials worth over Rs.120 crores lying in stock completely unused with no chance of revival of its own.
- ix. The entire plant & machinery worth over Rs.400 crores has turned into non-operating assets.
- x. A large number of employees have been rendered idle due to closure of the plants and more than Rs.2 crores a month is being added as cost of salaries alone which has to be born by the domestic industry during closure of the plant.
- xi. During the period Sept. to November 2008 there has been sudden fall in capacity utilization as under:

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 HY-I
Installed capacity				
Thirumalai				
Chemicals	87000	100000	110000	62500
IG Petro	110000	110000	110000	55000
Mysore Petro	12000	12000	12000	6000
SI Group	11000	11000	11000	5500
Total for Applicants	220000	233000	243000	129000
Asian Paints	24000	25200	25200	12600
Grand Total	244000	258200	268200	141600
Actual Production				
Applicants	168596	201095	220168	101483
Asian Paints	23041	21864	24261	12131
Total Production	191637	222959	244429	113614

Capacity Utilisation Applicants	77%	86%	91%	79%
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

- xii. The applicants requested for a specific rate of duty at the rate USD 488PMT, USD 302PMT and USD 180PMT for the first, second and third year respectively as it is more suitable for this product, that too, under the current market conditions when prices of PAN are highly volatile. Ad valorem rate of duty would imply higher duty at higher prices and lower duty at lower prices. This would not help the domestic producers. It will kill the domestic producers as the protection will go down as the import prices go down.

3. Findings of the DG:

- a) The issue to impose immediate safeguard measures was examined. It has been found that a total of 168 Safeguard Initiations have been reported to the WTO during the period between 29.03.1995 and 12.11.2008. It has been observed that in 15 of these cases provisional safeguard measures have been recommended/imposed within 30 days of initiation of the safeguard investigation. In some cases the provisional safeguard measures have been recommended on the same day as the date of initiation of the investigation. The Rule 9 of Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 prescribes that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. The principles governing investigations have been provided in the Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, which is independent to Rule 9. The Rule 15 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules provide for refund of differential Safeguard duty in case safeguard duty imposed after conclusions of the investigations is lower than the provisional duty already imposed and collected. The harmonious reading of Rules 6, 9 and 15 of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional Safeguard duty based on preliminary findings and refund of the differential duty in case it is ascertained that the duty imposed after conclusion of investigation following natural justice as enshrined in the Rule 6 is lower than the provisional Safeguard Duty. However, in critical circumstances any delay in imposition of Provisional Safeguard duty may cause damage which would be difficult to repair. Accordingly, it was considered prudent to analyze circumstances to assess whether the same falls in the category of critical circumstances.

- b) **The product under investigation:** The product under investigation is Phthalic Anhydride (PAN) falling under heading 2917.35.00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (CTA). Phthalic Anhydride (PAN) is a principle commercial form of Phthalic acid. It is white crystalline solid, used to manufacture synthetic resins, which act as binders in paint products. The primary use of PAN is a chemical intermediate in the productions of plastics from vinyl chloride. Phthalate esters, which function as plasticizers are derived from PAN. PAN has another major use in the production of polyester resins and other minor uses in the production of alkyd resins used in paints and lacquers; certain dyes, insect repellents and polyester polyols for polyurethanes. The chemical formula of PAN is $C_8H_4O_3$. It is produced by the catalytic oxidation of Ortho-xylene (OX) with air or by the catalytic oxidation of naphthalene. Domestic producers use the OX route. The process entails passing OX through a reactor, which is an arrangement of tubes of clay or porcelain rings coated with a catalyst. The oxidation process of OX coupled with post reactor polishing and flaking yields PAN in the form of white or pale yellow crystals.
- c) **Domestic Industry:** There are five domestic producers in India who manufacture PAN. Four domestic producers namely - 1) Thirumalai chemicals Limited, Ranipet, Tamilnadu 2) IG Petrochemicals Ltd, Taloja, Maharashtra, 3) Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur, Karnataka and 4) S I Group India Ltd, Thane, Maharashtra have joined the petition. The fifth producer namely, Asian Paints Ltd has not joined the petition. Asian Paints captively consumes a predominant portion of their production and sell only a part of their production in the domestic market in India. Share of the four applicants varied from 85% to 90% during the period 2005-06 to 2008-09.
- d) **Increased Imports:** There has been increasing trend in import in absolute term from the year 2004-05 except in 2006-07. Taking base year as 2004-05, the import has increased by 22.92% in 2005-06, declined by 27.88% in 2006-07, increased by 60% in 2007-08 and further increased by 128% in 2008-09 (taking annualized figure). The import figures year wise is mentioned below:

	Quantity (MT)	Value (Rs. in lacs)	Price (Rs. PMT)
2004-05	19,599	8,105	41,357
2005-06	24,092	10,061	41,763
2006-07	14,133	7,192	50,887
2007-08	31,441	16,417	52,218
2008-09 (first five months)	18,665	10,366	55,539

Similarly, the share of imports in the domestic market has gone up from 7% in 2006-07 to 12% in 2007-08 and 13% in the first half of 2008-09. The detailed statistics is mentioned below:

(Figures in MT)

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (First half)
Imports	1	24,092	14,133	31,441	22,398
Domestic production	2	168,596	201,095	220,168	101,483
Total quantity available	3=(1+2)	192,688	215,228	251,609	127,262
Share of imports	4=(1/3)	13%	7%	12%	13%
Share of domestic production	5=(2/3)	87%	93%	88%	87%
Sales by Domestic Industry	6	118,308	142,471	153,055	77,540
Consumption in India	7=(1+6)	142,400	156,605	184,496	99,938
Market share of					
Imports	8=1/7	17%	9%	17%	22%
Domestic industry	9=(6/7)	83%	91%	83%	78%

The imports of PAN into India have thus increased in absolute terms.

e). Unforeseen Developments: From the data available with the Directorate it is seen that the difference between the import prices of PAN (final product) and OX (raw material) have reduced from US\$ 210 per MT to US\$ 50 per MT and in some cases raw material prices were more than the prices of final products. One of the reasons for the sudden fall in import prices of PAN is collapse of domestic market in Korea and collapse of traditional export market of China and USA and the consequent desperate offloading of the piled-up stocks. Korea being the biggest supplier of PAN to India and devaluation of Korean Won by around 41% - from 941 Korean Won per USD in January 2008 to 1326 Korean Won per USD in October 2008 has had its effect on making increased import at fallen prices to India. It has further been observed that the unprecedented uneven recession in various countries has led to increased import of PAN to India.

f). Serious Injury and Threat of Serious Injury: The data available with the Directorate indicate that the prices of PAN came down to US\$ 1330 PMT during August 2008. It further went down to US\$ 1180 during September 2008. It showed a further down trend and touched US\$ 650 PMT during October 2008. As on 7th November 2008, prices of PA are ruling around US\$ 570 PMT. In the past four months, prices of imported PAN have come down

from US\$ 1580 PMT to US\$ 570 PMT – recording a fall of 64%. Three domestic producers have shut down their plant. The production capacity of PAN is 2.5 Lacs MTon in India and 77.5% of capacity is shut down. The statistics relating to production and capacity utilization is below:

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 HY-I
Installed capacity				
Thirumalai Chemicals	87000	100000	110000	62500
IG Petro	110000	110000	110000	55000
Mysore Petro	12000	12000	12000	6000
SI Group	11000	11000	11000	5500
Total for Applicants	220000	233000	243000	129000
Asian Paints	24000	25200	25200	12600
Grand Total	244000	258200	268200	141600
Actual Production				
Applicants	168596	201095	220168	101483
Asian Paints	23041	21864	24261	12131
Total Production	191637	222959	244429	113614
Capacity Utilisation	77%	86%	91%	79%

Domestic Producer	Date of shut down
Thirumalai Chemicals	8 October 2008
S I Group	11 October 2008
IG Petrochemicals	25 October 2008
Mysore Petrochemicals	1 November 2008

Domestic producers had a stock of approximately 9500 MT at the time of closure of their respective plants. They are not able to sell those goods even at cost and funds to the extent of Rs. 61.23 crore have been blocked on this account alone. On the date of closure of plants, more than 20000 MT of OX – the raw material worth over Rs.120 crores was lying in stock. Funds to that extent may remain blocked until production is resumed.

As various plants are closed, the employed personnel have been rendered idle and people depended on businesses incidental to manufacture of PAN unemployed.

The trend in fall of import prices and current economic scenario where the demands are falling in other countries, gives rise to threat of serious injury to domestic producers

g). Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury: Imports are increasing and taking the share of domestic market. At the same time the domestic industries have cut production and some of the units are closed. The preliminary determination shows that the serious injury and threat of serious injury is attributable to the increased import.

h). Adjustment Plan: The domestic producers have proposed measures for reduction in costs of manufacture, reduction in selling cost by reduction in commission and reduction in administrative expenses.

i) Critical Circumstances: The capacity utilization of the domestic producers had been 79% compared to 91% during the period 2007-08. The capacity utilization has further fallen to 22% in subsequent months as substantial capacity is shut down. Moreover, the loss of production, loss of sales, inventory built up and severe loss of man days along with loss of employment indicate critical circumstances.

In view of the above, critical circumstances exist justifying imposition of provisional safeguard duties immediately in order to save the domestic producers from damage which it would be difficult to repair if the application of safeguard measure is delayed.

j) Conclusion and Recommendation:

On the basis of the above preliminary findings it is seen that increased imports of PAN have caused and threatened to cause further serious injury to domestic producers of PAN. Critical circumstances, where any delay in application for safeguard measures would cause damage which it would be difficult to repair, exist necessitating immediate application of provisional safeguard duty for a period of 200 days, pending a final determination of serious injury and threat of serious injury. Considering the average cost of production of PAN by the domestic producers (confidential), a reasonable return on capital employed, the present level of import duties and the average import prices of PAN, safeguard duty at the rate of 25% advalorem, which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is recommended to be imposed on imports of Phthalic Anhydride falling under 29173500 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975

k) Further Process:

- I. The information provided by various parties may be subjected to verification where necessary, for which they will be informed separately.
- II. A public hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.
- III. Interested parties may make their views known on these preliminary findings to the undersigned before 30th January, 2009.

[F. No. D-22011/32/2008]

S. S. RANA, Director General